

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 173/2022

उनवान

1. रूघुनाथ पुत्र भैरू,
2. जमनी पत्नि मांगू,
3. गोपाल,
4. मानसिंह,
5. दयाल पुत्र मांगू समस्त जातिगण रावत निवासी अंसरी तहसील नसीराबाद
-- वादीगण :- जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. किशन पुत्र उगमा,
2. गंगा पत्नि उगमा,
3. बलदेव पुत्र उगमा,
4. बाबू
5. शैतान पुत्र मादू समस्त जातिगण रावत निवासी अंसरी तहसील नसीराबाद,
6. मैनेजर यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा लीडी जिला अजमेर,
7. उपपंजीयक अधिकारी तहसीलदार नसीराबाद,
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
-- प्रतिवादीगण :- 1 से 6 अनुपस्थित
7 व 8 जरिये तहसीलदार नसीराबाद


वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 सपटित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

:- निर्णय :-

दिनांक :- 29/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अंसरी के चौसाला खसरा नम्बर 521 रकबा 1-5-0 के वंकिंग खसरा नम्बर 626 रकबा 0-5-0, 627 रकबा 1-0-0 के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04, 692 रकबा 0.16 की आराजी व अन्य भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1975 को वादी संख्या 1 रूघुनाथ व वादी संख्या 2 से 5 के पति/पिता मांगू ने तत्कालीन खातेदार मादू व उगमा पि0 भिया से कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त आराजी विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय हाल खसरा नम्बर 691 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम व हाल खसरा नम्बर 692 को सिवायक दर्ज कर दिया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी वादी के कब्जे काशत पर दखलदांजी कर रहे हैं। व भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमदा है। अतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।




उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र प्रस्तुत किये। व साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। वादी ने कथन किया है कि उनके द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 521 रकबा 1-5-0 कय किया है। किन्तु विक्रय पत्र अनुसार ग्राम अंसरी के चौसाला खसरा नम्बर 521 रकबा 0-8-6 भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1975 को वादी संख्या 1 रुघनाथ व वादी संख्या 2 से 5 के पति/पिता मांगू ने तत्कालीन खातेदार मादू व उगमा पि0 भिया से कय की है। चौसाला खसरा नम्बर 521 रकबा 1-5-0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 28 में सिवायचक दर्ज था। तथा उसके वंकिंग खसरा नम्बर 626 रकबा 0-5-0, 627 रकबा 1-0-0 में से वंकिंग खसरा नम्बर 627 सिवायचक है तथा वंकिंग खसरा नम्बर 626 रकबा 0-5-0 वंकिंग जमाबंदी के खाता संख्या 119 में विक्रेता उगमा पुत्र भीया के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जिस पर नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.5.95 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। वादीगण का विक्रय पत्र 26.12.75 का है। हाल खसरा नम्बर 692 सिवायचक है। तथा हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम रहन दर्ज है। वादीगण ने 1-5-0 भूमि कय नहीं की है। साथ ही विक्रेता के नाम पूर्व व हाल राजस्व अभिलेख में 0.04 भूमि ही है। उक्त भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। वंकिंग खसरा नम्बर 626 पूर्व में गैर खातेदारी था तथा भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु विहित प्रावधान अनुसार उक्त आराजी में बाद में खातेदारी अधिकार दिये गये। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04 विक्रय पत्र की दिनांक 26.12.75 है। वंकिंग जमाबंदी अनुसार विक्रय दिनांक को उक्त आराजी विक्रेता की गैर खातेदारी में थी। किन्तु विक्रय के बाद विक्रेता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। आज दिनांक को उक्त आराजी विक्रेता के वारिस के नाम खातेदारी दर्ज है। विक्रेतागण ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय की है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार 'जहां कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या, भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रव्यंजना करता है वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर विक्रेता को बाद में खातेदारी प्राप्त होने से उसके द्वारा किया गया विक्रय वैध है। तथा वादी वर्तमान त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरुस्त करने का अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार भी विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन जमाबंदी की मान्यता समाप्त कर दी गयी। भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोड़ी गयी) वंकिंग जमाबंदी में उक्त आराजी पुनः भू संशोधन के खातेदार के नाम आवंटित की गयी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। किन्तु मादू व उगमा पि0 भिया द्वारा उक्त आराजी का बैचान पूर्व में ही किया जा चुका है। राज0

Am


उप-निर्देशक
नसारावादा (अजमेर)


//3//

पैरोकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से वाद के कथनों की ताईद होती है। खसरा नम्बर 691 प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में रहन दर्ज है। किन्तु वादीगण द्वारा पूर्व में ही भूमि का क़य करने के कारण व मक़्जा वादीगण का होने के कारण उक्त भूमि पर ऋण वादीगण के हितों पर अप्रामावी है। वादीगण केवल खसरा नम्बर 691 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 692 रकबा 0.16 साबिक वहाल राजस्व अभिलेख में भी सिवायचक होने के कारण वादीगण उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उक्तानुसार ग्राम अन्सरी के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04 की आराजी पर वादीगण का वाद "आंशिक स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



डिक्री व मुकदमें इक्वाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रघुनाथ बनाम किशन


दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व 136 भू राज० अधि० 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 173/2022

पेश करने की दिनांक - 16.12.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरु देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम अन्सरी के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक १७ माह ५ सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद